

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या 75/2014, के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में विधि विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हित, तथा अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट - www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित करते हुए अनर्हित अभ्यर्थियों से आपत्ति आमंत्रित किया गया था।


प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों को अभ्यावेदन के साथ संलग्न साक्ष्यों के समीक्षोपरांत निष्पादित कर दिया गया है जिसमें अनर्हित से अर्हित, अनर्हित से पुनः अनर्हित तथा अर्हित से अनर्हित हुए अभ्यर्थियों के सम्बंध में विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।

वि.सं.- 75/2014 के अन्तर्गत अर्हित उम्मीदवारों में से नियमानुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधाक्रमानुसार चयनित उम्मीदवारों की कोटिवार मेधा कट-ऑफ अंक आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए साक्षात्कार कार्यक्रम भी अपलोड कर दिया गया है। साक्षात्कार दिनांक-21.02.2018 से निर्धारित है।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें उक्त कट-ऑफ अंक के समतुल्य अथवा उससे अधिक अंक होने का दावा हो, तथा जिन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, वे अपने अधिभार अंकों की गणना तालिका के साथ आपत्ति अभ्यावेदन मात्र e-mail- bpscpat-bih@nic.in के माध्यम से दिनांक- 15.02.2018 तक भेज सकते हैं। दिनांक-15.02.2018 के बाद प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा Ph.D/M.Phil with 2009 का दावा किया गया है, उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत Pre Ph.D अंकपत्र एवं Ph.D/M.Phil कितने और किन-किन Criteria से उत्तीर्ण हुए हैं, से सम्बंधित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय समर्पित करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को Ph.D/M.Phil without 2009 माना जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित सभी अभ्यर्थियों की अर्हता पूर्णतः औपबधिक है। उनकी अर्हता पर यथासमय समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।


संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना